राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2366/2015

श्रीमती नारंगी देवी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. सहायक आयुक्त, प्रथम, देवस्थान विभाग, जयपुर।
2. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.09.2015
आदेश की दिनांक : 08.12.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 16.03.2010 को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी के स्व. पति श्री सत्यनारायण शर्मा की ग्रेच्युटी राशि से रोकी गई राशि रूपये 45,000/– मय 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज से अपीलार्थीगण को वापस दिलवाए जाने के आदेश फरमाए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी के पति स्व. श्री सत्यनारायण शर्मा पुजारी के पद पर श्री बलदेव जी, परसराम द्वारा, आमेर रोड जयपुर में पदस्थापित थे और पदस्थापन के दौरान राज्य सेवा में रहते हुए दिनांक 25.12.2009 को देहांत हो गया। तत्पश्चात् विभाग द्वारा पेंशन परिलाभों का भुगतान किया गया, जिसमें ग्रेच्युटी राशि में से राशि रूपये 45,000/– की कटौती कर ली गई और आदेश दिनांक 16.03.2010 जिसमें यह उल्लेख किया गया कि अपीलार्थी के पति नोड्यूस प्रमाण पत्र जारी करने में समय लगने की संभावना है। अतः अदेय प्रमाण पत्र जारी होने तक रूपये 45,000/– की राशि इनकी ग्रेच्युटी में से रोकी जावे और उक्त आलोच्य आदेश द्वारा ग्रेच्युटी में से उक्त राशि को विभाग

द्वारा रोक लिया गया। 5 वर्ष से भी अधिक अवधि का समय व्यतीत होने के पश्चात् उक्त राशि नहीं लौटाई गई, जो सेवा नियमों एवं विधि के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 16.03.2010 को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी के स्व. पति श्री सत्यनारायण शर्मा की ग्रेच्युटी राशि से रोकी गई राशि रूपये 45,000/– मय 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज से अपीलार्थीगण को वापस दिलवाए जाने के आदेश फरमाए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी के पति की ग्रेच्युटी से रूपये 45,000/– की राशि काटे जाने के बारे में बता दिया गया था कि उनके पति के पास मंदिर के जेवरात व अन्य सामान का जो चार्ज था, उनमें से कम उपलब्ध सामान की वर्तमान बाजार दर से वसूली की जा सकती है और उनके द्वारा राशि जमा नहीं कराने पर उनके पति की ग्रेच्युटी से उक्त राशि वसूली की गई है। अपीलार्थी के पति के मृत्यु पश्चात् अपीलार्थी को अवगत कराया गया कि जो आईटम उपलब्ध नहीं हुए हैं, उन्हें या तो जमा कराएं अन्यथा उनकी कीमत जमा कराऐं। अपीलार्थी ने न तो बकाया सामान जमा कराया और न ही उसकी कीमत जमा कराई। इसलिए ग्रेच्युटी राशि से बकाया सामान की कीमत के आधार पर उक्त राशि की कटौती की गई है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी के पति स्व. श्री सत्यनारायण शर्मा पुजारी के पद पर श्री बलदेव जी, परसराम द्वारा, आमेर रोड जयपुर में पदस्थापित थे और पदस्थापन के दौरान राज्य सेवा में रहते हुए दिनांक 25.12.2009 को देहांत हो गया। तत्पश्चात् विभाग द्वारा पेंशन परिलाभों का भुगतान किया गया, जिसमें ग्रेच्युटी राशि में से राशि रूपये 45,000/– की कटौती कर ली गई और आदेश दिनांक 16.03.2010 जिसमें यह उल्लेख किया गया कि अपीलार्थी के पति नोड्यूस प्रमाण पत्र जारी करने में समय लगने की संभावना है। अतः अदेय प्रमाण पत्र जारी होने तक रूपये 45,000/– की राशि इनकी ग्रेच्युटी में से रोकी जावे और उक्त आलोच्य आदेश द्वारा ग्रेच्युटी में से उक्त राशि को विभाग द्वारा रोक लिया गया। जहां तक अपीलार्थी को उनके पति की ग्रेच्युटी से रूपये 45,000/– की राशि कटौती उपरांत विभाग द्वारा वापिस नहीं लौटाए जाने

का प्रश्न है। हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि अपीलार्थी के पति के पास मंदिर के जेवरात व अन्य सामान का जो चार्ज था, उनमें से कम उपलब्ध सामान की वर्तमान बाजार दर से वसूली की जा सकती है और उनके द्वारा राशि जमा नहीं कराने पर उनके पति की ग्रेच्युटी से उक्त राशि वसूली की गई है, परंतु विभाग द्वारा उक्त राशि की कटौती आदेश दिनांक 16.03.2010 के द्वारा की गई है, जिसे लगभग 13 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है, परंतु आज दिनांक तक उसका कोई लेखा–जोखा/चुकता/मूल्यांकन/हिसाब विभाग द्वारा नहीं किया गया है और न ही जवाब में ऐसा कोई उल्लेख किया गया है, जो नियम एवं विधि सम्मत नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि विभाग द्वारा आदेश दिनांक 16.03.2010 के द्वारा जो अपीलार्थी के पति की ग्रेच्युटी से मंदिर के जेवरात पूरे उपलब्ध नहीं होने के संबंध में रूपये 45,000/– की राशि की कटौती की गई है, उसका सही एवं उचित रूप से नियमानुसार मूल्यांकन/हिसाब कर बकाया शेष राशि का भुगतान मय ब्याज 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से अपीलार्थी को इस आदेश के जारी होने की तिथी से दो माह में वापिस लौटाई जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य